कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकःशिविरा / हिनि / 28129 / 2019–2020 दिनांक : 27-11-2020

समस्त संयुक्त निदेशक,
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा)
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,(मुख्यालय) (माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा)
समस्त प्राचार्य डाईट,
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,
पंजियक शिक्षा विभागीय परीक्षायें।

विषयः हितकारी निधि के अन्तर्गत माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा में अध्ययनरत होने पर वित्तीय सहायता हेतु प्रार्थना–पत्र आमंत्रण : अन्तिम तिथि 04.01.2021

हितकारी निधि माध्यमिक शिक्षा / प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के अन्तर्गत शिक्षा विभाग में राजकीय सेवामे कार्यरत समस्त वर्ग के शिक्षा अधिकारियों / व्याख्याता (स्कूल शिक्षा / अध्यापकों / मंत्रालयिक / सहायक कर्मचारियों) के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनार्थ वित्तीय सहायता दिए जाने बाबत संलग्न प्रारूप–पत्र में प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र भरते समय एवं संबंधित अधिकारी द्वारा अग्रेषित करते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रख कर अग्रेषित किए जावें:–

1 यह योजना राजस्थान राज्य के शिक्षा विभाग माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत समस्त वर्ग के कार्मिकों के बच्चों के लिए ही लागू होगी।

2. **व्यावसायिक शिक्षा** : इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं मैनेजमेन्ट, बी.एड., सी.ए. , एस.टी.सी., नर्सिंग फार्मेसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत को ही वित्तीय सहायता देय होगी। निर्धारित पाठ्क्रमों का विवरण निम्नानुसार है:–

(अ) इंजीनियरिंग में स्नातक पाठ्क्रम (चार वर्ष)–(आठ सेमेस्टर): डिसिपलिन ऑफ सिविल, मैकनेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स एवं टेली–कम्यूनीकेशन, कम्प्यूटर साईन्स एण्ड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाईल, आर्केटैक्चर, टैक्सटाईल, माईनिंग, रबर टैक्नोलोजी, केमिकल इंजीनियरिंग, इन्स्टुमेन्टेशन एण्ड कन्ट्रोल, प्रिन्टिंग, केमिकल टेक्नोलाजी, मेटेलर्जीकल इंजीनियरिंग, एरोनोटिकल इंजीनियरिंग, प्रोडेक्शन टेक्नोलाजी, शिप बिल्डिंग एण्ड फेब्रिकेशन टैक्नालोजी, नेवल आर्किटेक्चर, पैट्रोलियम इंजीनियरिंग।

(ब) मेडिकल(एलोपेथी),होम्योपेथी,आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफमेडिसन्स एवं पशु आयुर्विज्ञान।

(स) उपर्युक्त पैरा(अ,ब) मे उल्लेखित डिग्री(4वर्ष),डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए।

(द) डिप्लोमा पाठ्यक्रम, बी–फार्मा की अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए।

(य) स्नातक पाठ्यक्रम के पश्चात् मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए।

(र) बी.एड. तथा एस.टी.सी. पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष की मान्य है।

3 प्रार्थना–पत्र की सभी प्रविष्टिया स्वयं कर्मचारी / संस्था प्रधान द्वारा भरी जानी चाहिए।

4 भुगतान किया गया वास्तविक शुल्क प्रार्थना–पत्र के कॉलम संख्या 12 मे स्पष्ट रूप से अंकित करें। **प्रार्थना–पत्र के साथ शुल्क की मूल रसीदें संलग्न करें। फोटो स्टेट प्रतियां. स्वीकार्य नहीं होगी। समेकित भुगतान की रसीद यदि प्रस्तुत की जाती है तो उसका मदवार विवरण प्रस्तुत करने पर ही प्रार्थना–पत्र विचारणीय होगा।**

5 सत्र 2020–21 मे छात्र जिस महाविद्यालय में अध्ययनरत है, उस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य का प्रमाण–पत्र संलग्न प्रारूप में संलग्न करें।

6 सहायता राशि मात्र ट्यूशन,पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला (लेबोरेटरी) शुल्क के भुगतान पर ही देय है। अतः अन्य मदों पर किए गए भुगतान एवं एक मुश्त में दर्शायी गई राशि पर सहायता देय नहीं होगी।

7 सहायता राशि एक शैक्षणिक सत्र तक ही सीमित है। राज्य कर्मचारी के बच्चों को वित्तीय सहायता

हेतु प्रार्थना–पत्र छात्र के शैक्षणिक सत्र 2020–21 में अध्ययनरत होने के लिए ही स्वीकार्य होंगे।

8. व्यावसायिक शिक्षा में सहायता हेतु परिवार के एक ही बच्चे के लिए प्रार्थना–पत्र स्वीकार्य होगा।
9. यह सहायता राशि वर्ष 2020–21 के लिए ही मान्य होगी, जिन्होंने इस सत्र में प्रवेश लिया हो उन्हें ही सहायता दी जावेगी।
10. प्रार्थना–पत्रों के आधार पर पात्रता की जांच/परीक्षण, एवं हितकारी निधि कोष में राशि उपलब्ध होने पर सहायता देय होगी। प्रार्थना–पत्र प्रेषित कर दिए जाने से यह तात्पर्य नहीं है कि आपको सहायता मिल जावेगी। अतः अनावश्यक पत्र व्यवहार नहीं किया जावे।
11. राज्य कर्मचारी, हितकारी निधि का नियमित अंशदान वर्ष 2018–19 से होना चाहिए। यदि अंशदान जमा करवाया हुआ है तो कटौती शिड्यूल एवं ईसीएस की प्रति वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 की संलग्न करें।
12. सहायता राशि पाठ्यक्रम हेतु रूपये 10,000/– निर्धारित है।
13. प्रार्थना पत्र निर्धारित सीमा तक प्राप्त नहीं होने कि सूरत में शेष प्रार्थना पत्रों पर विचार किया जा सकेगा।
14. अपूर्ण प्रार्थना–पत्र, शुल्क की मूल रसीदें नहीं होने एवं देरी से प्राप्त होने वाले प्रार्थना–पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। अतः ऐसी स्थिति में एवं निरस्त हुए प्रार्थना–पत्रों के बारे में कोई सूचना भी नहीं दी जावेगी। सहायता राशि 500 कार्मिकों के प्रार्थना पत्रों पर दी जानी है जिसे वरियता के आधार पर प्रदान की जावेगी।
15. प्रार्थना पत्र के साथ वर्ष 2018–19, 2019–2020 की ईसीएस एवं शिड्यूल कि प्रति संलग्न की जानी है तथा जिन कार्मिकों का वेतन पीडी हैड से आहरण होता है उन्हें CBEO (आहरण एवं वितरण अधिकारी) से ECS एवं शिड्यूल कि प्रति प्राप्त कर संलग्न करनी होगी, इसके अभाव में प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

कृपया उक्त विषयक सूचना अपने अधीनस्थ विद्यालयों / कार्यालयों में प्रसारित एवं प्रचारित करावें ताकि अधिकाधिक कर्मचारीगण इसका लाभ उठा सके। अतः निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ संस्था प्रधानों को पाबन्द करावें कि प्रार्थना पत्र सीधे नही भेजे, प्रार्थना पत्रों को अपनी अनुशंषा सहित दिनांक 04.01.2021 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता को पद नाम से भिजवाने की व्यवस्था करें। **तत्पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रार्थना–पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। अतः अग्रेषण अधिकारी अन्तिम तिथि के पश्चात् अनावश्यक प्रार्थना–पत्र अग्रेषित न करें।**

संलग्न: निर्धारित प्रार्थना–पत्र

(पितराम सिंह)
उप निदेशक (प्रशासन)
एवं सचिव हितकारी निधि
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निदेशक, समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर।
2. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
4. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर/अजमेर
6. प्रधानाचार्य सार्दुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर।
7. संपादक शिविरा पत्रिका।
8. संयुक्त निदेशक कम्प्यूटर (कार्यालय हाजा) को प्रेषित कर लेख है की विभागीय वेब–साईट एवं शालादर्पण /शालादर्शन पर अपलोड करने बाबत।

27/11/20

(पितराम सिंह)
उपनिदेशक (प्रशासन) एवं
सचिव हितकारी निधि
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

हितकारी निधि से राज्य कर्मचारियों, राजपत्रित शिक्षा अधिकारी/व्याख्याता (स्कूल शिक्षा)/शिक्षक/मंत्रालयिक/ सहायक कर्मचारी एवं समस्त वर्ग के राज्य कर्मचारियों (माध्यामिक/प्रारंभिक शिक्षा) के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत होने पर सहायता हेतु प्रार्थना–पत्र

1.कर्मचारी का नाम..

2.पद एवं पदस्थापन स्थान..

3. कर्मचारी का स्थायी पता ....

4 टेलीफोन नम्बर/मोबाईल नम्बर ....

5.कार्मिक का बैंक खाता विवरण :

1.कार्मिक का बैंक खाता संख्या (पासबुक की प्रति) या निरस्त चैक ....

6.अध्ययनरत छात्र/छात्रा का नाम..

7.छात्र/छात्रा से सम्बन्ध...

8.छात्र/छात्रा के व्यावसायिक शिक्षा का नाम (√करें) मेडिकल/इंजीनियरिंग/मैनेजमेन्ट/बी. एड/एस.टी.सी./नर्सिंग/सी.ए.)...

9.पाठ्यक्रम की अवधि...

10.महाविद्यालय में प्रवेश तिथि...

11.महाविद्यालय का नाम एवं पता जहां छात्र/छात्रा अध्ययनरत है...................................

....(√करें)(संस्था राजकीय/अराजकीय/निजी/मान्यता प्राप्त)

12.व्यावसायिक विषय के लिए भुगतान की गई राशि की मूल रसीदें संलग्न करें :–

संलग्न कुल रसीद संख्या.. राशि..............................

13.छात्र/छात्रा जिस महाविद्यालय में अध्ययनरत है उस संस्था से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न है : (हां/नहीं)

14.हितकारी निधि का कार्मिक आई0डी0सं0 (अंशदान कटौती शिड्यूल/ई0सी0एस0 **वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 संलग्न करें, 2018–19 से** नियमित अंशदाता होना चाहिये)

मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूं कि मेरी सर्वोतम जानकारी एवं **विश्वास के अनुसार उपर दिया गया विवरण बिल्कुल सही है! इन बिन्दुओं मे कोई** असत्यता **पाई जाती है तो हितकारी निधि,शिक्षा विभाग,बीकानेर मेरे विरुद्ध जो भी उचित समझे** कार्यवाही **कर सकेगा वह मुझे स्वीकार्य होगी।**

कर्मचारी के हस्ताक्षर

(पद एवं कार्यरत स्थान)

प्रार्थना पत्र जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा अग्रेषित करवाया जाना आवश्यक है।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..
पद एवं पदस्थापन स्थान...
जो मेरे अधीन कार्यरत है। इनके पुत्र/पुत्री..जो
(महाविद्यालय) का नाम...
में अध्ययनरत है एवं मेडिकल/इंजीनियरिंग/मैनेजमेन्ट/बीएड/एस.टी.सी./नर्सिंग सत्र..................
में प्रवेश लिया है को सहायता हेतु इनका प्रार्थना–पत्र अध्यक्ष हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर को अनुशंषा सहित अग्रेषित किया जाता है।

जिला शिक्षा अधिकारी
हस्ताक्षर मय सील

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
(मोहर)

....

अध्ययनरत महाविद्यालय का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जांता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री...
पुत्र/पुत्री/श्रीमती...
जो (महाविद्यालय का नाम)..
में अध्ययनरत है। इनके पुत्र/पुत्री इस महाविद्यालय का नियमित छात्र/छात्रा है।
महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्रा विषयक विवरण निम्नानुसार है :–

पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्क्रम की अवधि (समेस्टर सहित)	प्रवेश तिथि	वर्तमान मे किस वर्ष में अध्ययनरत है	उतीर्ण/अनुतीर्ण	विशेष विवरण

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
मय मोहर